भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1058

गुरूवार, 13 फरवरी, 2025/24 माघ, 1946, (शक)

रासायनिक कारखानों में पुराने उपकरणों को बदलना

1058. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) ने राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करके रासायनिक कारखानों में पुराने उपकरणों के सुरक्षित उपयोग काल समाप्त होने पर सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बदलने के लिए दिशा-निर्देश बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) महत्वपूर्ण उपकरणों का सुरक्षित उपयोग काल किस तरह निर्धारित किया जाता है;

(ग) क्या कारखानों में तीसरे पक्ष द्वारा सुरक्षा संपरीक्षा असामान्य रूप से त्वरित तरीके से की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे घातक दुर्घटना हो सकती है; और

(ड.) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं के मामले कौन जिम्मेदार होगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): कारखानों में कार्यरत कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों द्वारा अधिशासित होते हैं। यह अधिनियम, मशीनरी और उपकरणों के लिए सुरक्षा उपबंधों; कारखानों में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और पदार्थों के निर्माताओं, निर्यातकों और डिजाइनरों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, और रासायनिक कारखानों सहित खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंधों के रूप में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थितियां प्रदान करता है।

अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों के मालिकों को अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) के माध्यम से लागू किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात (एमएसआईएचसी) नियम, 1989, 'सुरक्षा रिपोर्ट और सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट' का प्रावधान करता है जो प्रमुख दुर्घटना खतरा (एमएएच) प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

****